न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर(राज0)
पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद सं0 149/2009 **दिनांक 30.11.17**

1. रमेश सिंह
2. लक्ष्मन सिंह
3. रघुनाथ सिंह
4. सुरेश सिंह
5. दिनेश चन्द

पुत्रगण गोरधनसिंह जाति नाई नि0 बझेरा तहसील व जिला भरतपुर

6. अतर सिंह
7. हरभान सिंह

पि0 रघुवर जाति नाई नि0 बझेरा तह0 भरतपुर

8. गोपी पुत्र प्यारेलाल जाति नाई निवासी बझेरा तहसील व जिला भरतपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. बनैसिंह
2. शिब्बो
3. राजन

पि0 भूपसिंह जाति गडरिया निवासी बझेरा तहसील व जिला भरतपुर

4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक 30.11.2017

वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम बझेरा तहसील भरतपुर स्थित हाल आ0 ख0 न0 89/0.15, 90/0.18 गत ख0 न0 50 रकवा 2 वीघा 16 विस्वा से बने हैं । जिस पर वादीगण साविक रकवा के अनुसार ही मौके पर अपने रकवा पर काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

हाल आ0 ख0 न0 89, 90 के आलावा अन्य नम्बरान पर वादीगण सं. 1 लगायत 5 के पिता गोरधन सिंह निस्फ हिस्सा एवं वादी संख्या 6, 7 के पिता रधुवर व वादी सं. 8 के पिता प्यारेलाल निस्फ हिस्सा में व हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकर थे। मुताबिक बंटवारा नामा हाल खसरा नम्बर 89 वादीगण नम्बर 1 लगायत 5 के हिस्सा में ख. न. 90 रकवा 18 एयर में से एक हिस्सा खसरा नम्बर 90 का रकवा 09 एयर का कायम कर वादी नम्बर 6 व 7 के नाम व दूसरा हिस्सा 90/1 रकवा 09 एयर वादी संख्या 8 के नाम हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है।

बंदोबस्त विभाग द्वारा वादीगण का रकवा साविक रकवा के अनुसार 13 एयर राजस्व रिकार्ड में कम दर्ज कर दिया गया है। जबकि बन्दोवस्त विभाग को वादीगण के रकवा को साविक रकवा के अनुपात में ही दर्ज किया जाना चाहिए था। बंदोवस्त विभाग को किसी भी खातेदार काश्तकार के रकवा को कम व अधिक करने का अधिकार नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसी कारण वादीगण साविक रकवा के अनुपात में ही 13 एयर रकवा की पूर्ति कराकर राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।

वादीगण का आराजी से लगा हुआ प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का खसरा नम्बर 49 रकवा 22 एयर स्थित है जो साविक खसरा नम्बर 18 मिन रकवा 1 वीधा 1 विस्वा अर्थात 17 एयर से बना है जो साविक के मुकावले 05 एयर रकवा वेशी है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर हाल ख. न. 56 रकवा 17 एयर थी साविक ख.नं. 18 मिन रकवा 10 विस्वा से बना है जो साविक के मुकावले 08 एयर वेशी है। इसी प्रकार वादीगण का कमी रकवा 13 एयर प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 के रकवा में 5 एयर एवं प्रतिवादी सं. 4 के खाते में 09 एयर कुल रकवा 14 एयर में है। जिसे वादीगण कम कराकर अपने नाम खातेदारी काश्तकारी घोषित करा पाने के अधिकारी है।

दिनांक 11.10.2009 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी है कि वे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में वेशी आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन, वय मुन्तकिल कर देंगे व आराजी से वादीगण को बेदखल कर आराजी पर जबरन रास्ता कायम कर नाकाबिल काश्त बना देंगे। अगर प्रतिवादीगण अपने धमकी में कामयाब हो गए तो वादीगण को अजीम नुकसान होगा। जिसकी क्षति पूर्ति जरिये नकद सम्भव नहीं है।

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम बझेरा तहसील भरतपुर स्थित हाल आ. ख. नं. 49 रकवा 22 एयर में से 05 एयर एवं ख. नं. 56 रकवा 17 एयर में से 8 एयर रकवा प्रतिवादीगण के खाते में से कलमजन किया जाकर वादी सं. 1 लगायत 5 को 7 एयर एवं वादी सं. 6 व 7 को 03 रकवा एवं वादी सं. 8 को 03 एयर पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पावंद किया जावे। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2063–2066 किता–4, मिलान क्षेत्रफल एवं जमावंदी संवत 2018 किता 2 पेश की है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 जरिये अभिभाषक उपस्थित आए और दिनांक 15.07.2010 को अपना जबाव पेश किया। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से जबाव न आने पर इनका जबाव बंद किया गया। प्रतिगण सं. 1 लगायत 3 के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा संलग्न पत्रावली है। इन्होने दावा में वार्णित तथ्यों को नकारते हुए दावा वादीगण खारिज किये जाने का अनुरोध अपने जवाब में अंकित किया है। दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में निम्नांकित तनकीयत कायम की गई–

<u>तनकी नं.1</u>:– "आया वादीगण वादग्रस्त आराजी के 0.13 हैक्टर भूमि पर से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कराकर स्वंय को खातेदार कृषक मुताविक दावे की मद सं. 10 "अ" करा पाने के अधिकारी है।"

.....(वादी.)

<u>तनकी नं.2</u>:– "आया वादीगण वाद ग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?"

.....(वादी.)

तनकी नं.3:– आया दावा वादीगण कब्जा वापसी का न होने के कारण मैन्टेनोबिल नहीं है?

.....(प्रति.)

तनकी नं.4:– "आया वादी द्वारा प्रति0 सं. 4 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस न देने से दावा काबिल खारिज है ?"

.....(प्रति.)

तनकी नं.5:– दादरसी ?

.....(प्रति.)

दावा में उपरोक्तानुसार तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में गवाह लक्ष्मन सिंह का शपथ–पत्र पेश हुआ। और दिनांक 08.08.12 को साक्ष्य वादी बंद की गई । साक्ष्य प्रतिवादी को बार–बार अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य न आने पर दिनांक 08.04.2014 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई। अभिभाषक प्रतिवादीगण को कई बार बहस हेतु मौका दिया गया। किन्तु उपस्थित नहीं आए। अतः वादीगण के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वादीगण के अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध जबाव दावा, दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। तनकी वाइज विवेचन निम्न प्रकार है:–

तनकी नं.1:– "आया वादीगण वादग्रस्त आराजी के 0.13 हैक्टर भूमि पर से वादीगण का नाम कलमजन कराकर स्वयं को खातेदार कृषक मुताबिक दावे की मद सं. 10 "अ" करा जाने का अधिकारी है। "इस तनकी को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व वादीगण पर है । वादीगण ने अपने दावा में अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का खसरा नम्बर 49 रकवा 22 एयर स्थित है । जो साविक ख0नं0 18 मिन रकवा 1 बीघा 1 विस्वा अर्थात 17 एयर से बना है जो साविक के मुकावले 5 एयर वेशी है एवं प्रतिवादी सं. 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर हाल 56 रकवा 17 एयर भी साविक ख. नं. 18 मिन रकवा 10 विस्वा से बना है जो साविक के मुकावले 8 एयर वेशी है। इस प्रकार वादीगण प्रतिवादी 1 लगायत 3 के रकवा में 5 एयर एवं प्रतिवादी सं. 4 के खाते में से 08 एयर रकवा प्राप्त कर अपने रकवे की पूर्ति कराना चाहते है। किन्तु वादीगण को रकवा दुरस्ती चाहने बाबत यह भी स्पष्ट करना था कि कमी वेशी होने वाले रकवा की नक्शा अक्स में क्या स्थिति है। अर्थात दोनों खसरा नम्बर एक दूसरे से चिपटवां है या दूर है। इस तथ्य को वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य से प्रामाणित नही किया है। क्योंकि वादीगण द्वारा नक्शा अक्स गत व हाल पेश नही किये गए है।

इसके अलावा सैटलमेंट के समय सैटलमैंट विभाग द्वारा कच्ची पर्ची व पर्चा लगानी भी दी थी तो यह तथ्य वादीगण की जानकारी में पहले से ही था। इस प्रकार वादीगण का दावा साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।"

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तनकी नं.2:– "आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। " इस तनकी को भी प्रमाणित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। चूंकि तनकी नं.1 विरूद्ध वादीगण तय की जा चुकी है। वादीगण यह सावित नहीं कर सके है कि प्रतिवादी के इन्द्राज कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जा सके। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण खातेदार के रूप में दर्ज है। और एक खातेदार काश्तकार के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती। अतः यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।"

तनकी नं.3:– "आया दावा वादीगण कब्ज वापसी का ना होने के कारण मेंन्टेनेबिल नहीं है। इस तनकी को सिध्द करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी को साबित करने बाबत कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा नजीर न्यायालय के समक्ष पेश नही की गई है। जिसके सिध्द होते ही कि वादीगण का दावा कब्जा वापसी का नही होने से मेंन्टेनेबिल नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।"

तनकी नं.4:– "आया दावा वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 4 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस न देने से दावा काबिल खारिज है।" वादीगण द्वारा वाद पत्र में प्रतिवादी सं. 4 के रूप में राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा इस बाबत धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस नही दिया गया है। लेकिन वादीगण द्वारा वाद पत्र के साक्ष्य धारा 80(2) सी.पी.सी प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिस पर अनुमति के उपरान्त वाद पत्र की सुनवाई की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा इस प्रकार की कोई नजीर पेश नहीं की है कि धारा 80 सी.पी.सी. का प्रावधान आज्ञापक है। इस प्रकार यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

5. दादरसी ?:– चूंकि वादीगण अपना वाद पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। अतः हमारे न्यायिक मत में वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है किः–

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री कायम हो। निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official